



उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, 19-सी, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001
दूरभाष/फैक्स: 0522-2235752 फैक्स- 0522-2235806
Web-www.uppbob.gov.in

सूचना / विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा में मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के 176 रिक्त पदों पर विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन

संख्या: पीआरपीबी-चार-12(37)/2025

दिनांक: सितम्बर 15, 2025

1- उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस में मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के शत-प्रतिशत पद विभागीय परीक्षा के माध्यम से बोर्ड द्वारा ऐसे आरक्षी चालकों एवं मुख्य आरक्षी चालकों में से भरे जायेंगे जो नियम-5 (ग) में यथा उल्लिखित अर्हता शर्तें पूर्ण करते हों।

बोर्ड द्वारा मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन का चयन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा।

(क) आवेदन पत्र:-

तकनीकी सेवा परिपत्र के माध्यम से समस्त ऐसे जनपदों, इकाईयों और पीएसी वाहिनियों के आरक्षी चालकों और मुख्य आरक्षी चालकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा, जो नियम-5 (ग) में यथा उल्लिखित पात्रता शर्तें पूर्ण करते हों।

(ख) बुलावा पत्र:-

तकनीकी सेवा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण किये जाने के पश्चात त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा और सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा और पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु उनके जनपद, इकाई एवं पीओसीओ वाहिनी के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से सूचना भेजी जायेगी। तकनीकी सेवा द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभागाध्यक्ष के माध्यम से बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।

(ग) विभागीय परीक्षा:-

उपर्युक्त सेवा नियमावली के परिशिष्ट में विहित प्रक्रिया के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।

(घ) सेवा अभिलेख:-

बोर्ड द्वारा सेवा नियमावली के परिशिष्ट में यथा विहित सेवाभिलेखों के आंकलन के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे।

(ङ) अन्तिम चयन सूची:-

बोर्ड द्वारा सेवा नियमावली के परिशिष्ट में यथा विहित योग्यताक्रम में चयन सूची तैयार की जायेगी

(च) स्वास्थ्य परीक्षण:-

स्वास्थ्य परीक्षण में सफल होना अनिवार्य होगा।

नियम-5 (ग)

मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन की शत-प्रतिशत रिक्तियां बोर्ड द्वारा सेवा नियमावली के परिशिष्ट में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार चयन द्वारा ऐसे आरक्षी चालकों एवं मुख्य आरक्षी चालकों में से भरी जायेंगी, जो निम्न पात्रताएं पूरी करते हों:-

(एक) भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों।

(दो) वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में असफल न पाये गये हों।

(तीन) विगत पांच वर्षों की अवधि में-

(क)-सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो, या

- (ख)–कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, या
 (ग)–दो या उससे अधिक लघु दण्ड न मिले हों।
 (चार) विगत तीन वर्षों की अवधि में–
 (क)–कोई लघु दण्ड न मिला हो, या
 (ख)–दो या उससे अधिक छोटे दण्ड न मिले हों, या
 (ग)–कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो।

2-चयन की प्रक्रिया-

पाठ्यक्रम- उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा में मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के रिक्त पदों पर विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन के सम्बन्ध में **विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम "हिन्दी/अंग्रेजी"** भाषा में अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ संलग्न है।

3-लिखित परीक्षा-

लिखित परीक्षा एवं व्यावहारिक तकनीकी ज्ञान परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015 में निहित प्रावधानों के अनुसार निम्न विवरण के अनुसार सम्पन्न करायी जायेगी। उक्त पद हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 05-10-2025 को "लखनऊ विश्वविद्यालय, ओल्ड कैम्पस, यूनीवर्सिटी रोड, बादशाहबाग, हनुमान सेतु के निकट, लखनऊ-226007" में किया जायेगा। यह सूचना अभ्यर्थीगण को इस आशय से दी जा रही है कि वह इस परीक्षा से सम्बन्धित तैयारी समय से प्रारम्भ कर सकें और उनको तैयारी हेतु पर्याप्त समय प्राप्त हो सके।

अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से सम्बन्धित प्रवेश पत्र उनके नियुक्ति जनपद/इकाई के प्रभारी पुलिस अधीक्षक/सेनानायक के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे तथा प्रवेश पत्र डाउनलोड किये जाने का लिंक उ0प्र0 पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in/> पर भी उपलब्ध कराया जायेगा। अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट पर दिये गये लिंक पर जाकर उसमें दिये गये फील्ड्स को भरकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर यथास्थान अपना फोटो चस्पा कर अपने कार्यालयाध्यक्ष से प्रमाणित कराकर उपयोग में ला सकते हैं। हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराये गये अथवा नेट से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र में से कोई एक ही प्रमाणित किया गया प्रवेश पत्र अभ्यर्थी द्वारा प्रयोग में लाया जायेगा। अभ्यर्थीगण प्रवेश पत्र में उल्लिखित रिपोर्टिंग समय/तिथि पर निर्धारित वर्दी में परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे तथा अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लिखित परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र में अंकित "अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश" का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यह भी अवगत कराना है कि संगत सेवा नियमावली में लिखित परीक्षा में अनुपस्थित/असफल रहे अभ्यर्थियों को दुबारा लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने का कोई अवसर प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः किसी कारणवश अनुपस्थित/असफल रहे अभ्यर्थियों को इस लिखित परीक्षा में दुबारा सम्मिलित होने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है वे अग्रेतर महत्वपूर्ण निर्देशों हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in/> का नियमित अवलोकन करते रहें। अभ्यर्थियों के परीक्षा सम्बन्धी समस्त सूचना/निर्देश बोर्ड की उक्त वेबसाइट के माध्यम से ही प्रदत्त की जायेगी।

विभागीय परीक्षा दो चरणों में होगी:-

क0 सं0	विषय	निर्धारित अंक	प्रश्नों की संख्या		समय
1—लिखित परीक्षा					
1	जनरल नॉलेज एवं आईक्यू टेस्ट	25	25	01 अंक प्रति प्रश्न	03:00 घण्टे
2	तकनीकी ज्ञान एवं उससे सम्बन्धित पाठ्यक्रम	45	90	1/2 अंक प्रति प्रश्न	
2—व्यवहारिक तकनीकी ज्ञान परीक्षा (अर्हकारी)					
1	व्यावहारिक तकनीकी ज्ञान परीक्षा	50	50	01 अंक प्रति प्रश्न	पाठ्यक्रम में समय सीमा का उल्लेख नहीं है।

(क) लिखित परीक्षा:—

संगत सेवा नियमावली में दिये गये प्रावधान के अनुसार मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद हेतु पात्र अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षा 70 अंको की होगी और इस परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस परीक्षा में प्राप्त अंको को अन्तिम परिणाम में सम्मिलित किया जायेगा। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अगले चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

(ख) व्यावहारिक तकनीकी ज्ञान परीक्षा:—

लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से बोर्ड द्वारा आयोजित व्यावहारिक तकनीकी ज्ञान परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षा 50 अंकों की होगी और इस परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम 25 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी और प्राप्त किये गये अंक अन्तिम परिणाम में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

सेवा अभिलेख

विभागीय परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन कुल 30 अंकों का होगा जिसका निर्धारण निम्नानुसार होगा:—

(क) सेवा अवधि	10 अंक
(ख) वार्षिक अभ्युक्ति	10 अंक
(ग) पुरस्कार	05 अंक
(घ) पदक	05 अंक

विभिन्न मदों में अंक आवंटन के मापदण्ड:—

(एक)	सेवा अवधि के अंक	अधिकतम 10 अंक आरक्षी चालक के रूप में पूर्ण की गई प्रत्येक 01 वर्ष की सेवा के लिए 01 अंक	
(दो)	वार्षिक मूल्यांकन पर अंक	विगत 05 वर्ष के वार्षिक मूल्यांकन पर कुल अधिकतम 10 अंक निम्नानुसार दिये जायेंगे:—	
		1—प्रत्येक आउटस्टैंडिंग/उत्कृष्ट/सर्वोच्च या सर्वोत्तकृष्ट के लिए	2.0 अंक
		2—प्रत्येक बेरीगुड/अतिउत्तम/एक्सीलेण्ट के लिए	1.5 अंक
		3—प्रत्येक गुड/उत्तम/बहुत अच्छा के लिए	1.0 अंक
		4—प्रत्येक संतोषजनक/अच्छा अथवा औसत के लिए	0.5 अंक
		5—प्रत्येक खराब/असंतोषजनक के लिए	0.0 अंक
		टिप्पणी:— जहाँ उपरोक्त के अतिरिक्त शब्दावली में ग्रेडिंग हो अथवा ग्रेडिंग न हो वहाँ सम्पूर्ण प्रविष्टि पर विचार किया जाना चाहिए और तदनुसार अंक प्रदान किये जा सकते हैं।	
(तीन)	पुरस्कार और सुप्रविष्टि पर अंक	अधिकतम 05 अंक प्रत्येक नकद पुरस्कार/उत्तम प्रविष्टि पर—0.5 अंक	
(चार)	पदक/सराहनीय	अधिकतम 05 अंक	

सेवा सम्मान चिन्ह के लिये अंक	1-महामहिम भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक/वीरता पदक के लिए-05 अंक
	2-महामहिम राज्यपाल/मा0मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस पदक/वीरता पदक के लिए-03 अंक
	3-पुलिस महानिदेशक द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय सेवाओं के लिये सम्मान चिन्ह के लिए-02 अंक

सेवाभिलेख में दण्डों के ऋणात्मक अंक का मापदण्ड:-

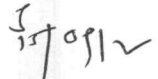
ऋणात्मक अंक कटौती की अधिकतम सीमा-10 अंक होगी।		
(एक)	दीर्घ दण्ड, नियम-14(1)	प्रत्येक दीर्घ दण्ड के लिये 03 अंक
(दो)	लघु दण्ड, नियम-14(2)	प्रत्येक लघु दण्ड के लिये 02 अंक
(तीन)	छोटे दण्ड	प्रत्येक छोटे दण्ड के लिये 0.5 अंक

4- अन्तिम चयन सूची:-

विभागीय लिखित परीक्षा में कुल पूर्णांक: 70 में से न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही अगले चरण की व्यावहारिक तकनीकी ज्ञान परीक्षा, जो की अर्हकारी प्रकृति की है, में सम्मिलित किया जायेगा, जिसमें सफल होने के लिए कुल पूर्णांक: 50 में से न्यूनतम 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इस परीक्षा में न्यूनतम 25 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के ही सेवाभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा अर्थात् व्यावहारिक तकनीकी ज्ञान परीक्षा में न्यूनतम 25 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रश्नगत चयन के लिए अगले चरण "सेवाभिलेखों का मूल्यांकन" हेतु सफल नहीं माने जायेंगे। व्यावहारिक तकनीकी ज्ञान परीक्षा के प्राप्तांक अन्तिम परिणाम में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। केवल विभागीय लिखित परीक्षा एवं सेवाभिलेख में प्राप्त अंकों के आधार पर मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद हेतु पात्र अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होंगे तो उनकी योग्यता प्रथमतः आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं तत्पश्चात उनकी जन्मतिथि के अनुसार निर्धारित की जायेगी। यदि नियुक्ति की तिथि व जन्मतिथि भी समान होती है तो हाई स्कूल के प्रमाण-पत्र में उल्लिखित अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के क्रम के अनुसार उनका योग्यताक्रम निर्धारित किया जायेगा।

विभागीय परीक्षा हेतु उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर चयन के सम्बन्ध में तैयार की गई सूची बोर्ड द्वारा विभागाध्यक्ष को अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

संलग्नक:-लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम


 अपर सचिव (प्रोन्नति),
 उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
 लखनऊ।

मुख्य आरक्षी परिवहन के पद पर चयन हेतु विभागीय परीक्षा पाठ्यक्रम

मुख्य आरक्षी परिवहन के पद पर चयन हेतु विभागीय परीक्षा के पाठ्यक्रम को कुल 06 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें 05 भाग लिखित परीक्षा तथा अंतिम भाग 06 प्रायोगिक परीक्षा से सम्बन्धित है।

क्र.सं.	विषय	विवरण
1.	भाग-1 सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षण परीक्षा पाठ्यक्रम	1.1 पाठ्यक्रम का यह भाग सामान्य ज्ञान तथा सामयिक विषय पर आधारित है। 1.2 बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित
2.	भाग-2 तकनीकी ज्ञान एवं उससे सम्बन्धित विषयक पाठ्यक्रम	2.1 पाठ्यक्रम का यह भाग अभ्यर्थी के प्राविधिक/तकनीकी ज्ञान, वाहन के पुर्जों और उनकी कार्यप्रणाली आदि पर आधारित है। 2.2 बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित
3.	भाग-3 वाहन चालन के मापदण्ड एवं प्रक्रिया पाठ्यक्रम	3.1 पाठ्यक्रम का यह भाग वाहन चालन के मापदण्ड तथा इससे सम्बन्धित सामान्य विधिक ज्ञान पर आधारित। 3.2 बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित
4.	भाग-4 मोटरयान अधिनियम, नियम, विनियम एवं प्रक्रिया पाठ्यक्रम	4.1 पाठ्यक्रम का यह भाग मोटरवाहन से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों/नियमों के विषय में ज्ञान, यातायात नियन्त्रण तथा वाहन से सम्बन्धित अभिलेखीय ज्ञान पर आधारित। 4.2 बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित
5.	भाग-5 मरम्मत एवं फिल्ड रिपेयर से सम्बन्धित पाठ्यक्रम	5.1 पाठ्यक्रम का यह भाग वाहन में आने वाली सामान्य खराबियों की पहचान, निराकरण तथा वाहन/टायर, बैटरी आदि के निष्प्रयोजन प्रक्रिया के ज्ञान आदि पर आधारित है। 5.2 बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित
6.	भाग-6 प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षण का पाठ्यक्रम	6.1 पाठ्यक्रम का यह भाग अभ्यर्थी के तकनीकी ज्ञान को प्रायोगिक रूप में परीक्षण पर आधारित है।

(रवीन्द्र नाथ राय)
पुलिस उपाधीक्षक
लॉजिस्टिक्स

(सुधीर कुमार शुक्ला)
वर पुलिस अधीक्षक, लॉजिस्टिक्स

आरक्षी चालक / मुख्य आरक्षी चालक से मुख्य आरक्षी परिवहन की प्रोन्नति परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम
(बहुविकल्पीय प्रश्न) प्रथम भाग, जैसा कि आर आर-2015 में उल्लिखित किया गया है

कुल अंक-70

समयावधि-3 घंटे

भाग-1 सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षण पाठ्यक्रम-25 अंक

(नोट- बहुविकल्पीय प्रश्न, कुल प्रश्न-25, प्रत्येक प्रश्न-01 अंक)

भाग-2 तकनीकी ज्ञान एवं उससे सम्बन्धित विषयक पाठ्यक्रम-45 अंक

(नोट- बहुविकल्पीय प्रश्न, कुल प्रश्न-90, प्रत्येक प्रश्न-1/2 अंक)

वाहन से सम्बन्धित -

- 2.1 आटोमोबाइल इंजन एवं अन्य भागों तथा उनके कार्य प्रणाली के बारे में सामान्य परिचय
- 2.2 वाहन चालन से पूर्व के निरीक्षण
- 2.3 वाहन चालन प्रणाली के भाग
- 2.4 वाहन नियन्त्रण एवं उसका उद्देश्य

2.4.1 पैरो के द्वारा किये जाने वाले वाहन नियंत्रण:-

- 2.4.1.1 फुट ब्रेक (पैरो द्वारा प्रयोग किये जाने वाला ब्रेक)
- 2.4.1.2 क्लच
- 2.4.1.3 एक्सीलेटर

2.5 वाहन का हाथ से किये जाने वाला नियंत्रण:-

- 2.5.1 स्टीयरिंग व्हील
- 2.5.2 हार्न
- 2.5.3 वाइपर
- 2.5.4 स्टार्टर मोटर
- 2.5.5 इंडिकेटर
- 2.5.6 हैंड ब्रेक
- 2.5.7 लाइट
- 2.5.8 इग्नीशियन स्विच
- 2.5.9 डिपर

2.6 वाहन के अन्य नियंत्रण

- 2.6.1 रियर व्यू मिरर (दाहिने एवं बायें)
- 2.6.2 वाहन के गेजेज/मीटर
- 2.6.3 विन्ड स्क्रीन (सामने का शीशा)
- 2.6.4 डैशबोर्ड पर लगे इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर
- 2.6.5 डैशबोर्ड पर लगे डायलस

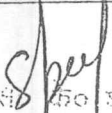
2.7 वाहन चलाने से पूर्व किये जाने वाले निरीक्षण:-

- 2.7.1 ड्राइविंग सीट पर बैठने से पहले ।
- 2.7.2 ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद ।


(रवीन्द्र नाथ राय)
पुलिस उपाधीक्षक
लॉजिस्टिक्स


(रमेश प्रसाद गुप्ता)
पुलिस अधीक्षक, लॉजिस्टिक्स

उ० प्र० लखनऊ


(एस० के० शुक्ला)
जूनियर पुलिस अधीक्षक, लॉजिस्टिक्स

2.8

वाहन को चलाना प्रारम्भ करना :-

- 2.8.1 वाहन चलने से पूर्व बरती जाने वाली सावधानी
- 2.8.2 बाइटिंग प्वाइंट (कलच एवं एक्सीलेटर का तालमेल वाहन को चलाते समय)
- 2.8.3 स्टीयरिंग नियन्त्रण
- 2.8.4 रोकना
- 2.8.5 एक्सीलेटर (सामान्य/अचानक)
- 2.8.6 पीछे करना
- 2.8.7 चलते समय बरती जाने वाली सावधानियां
- 2.8.8 आगे बढ़ाना ।
- 2.8.9 गियर बदलना
- 2.8.10 स्थिर करना
- 2.8.11 सड़क/यातायात को समझना, निर्णय लेना, पार्किंग करना एवं वाहन को अन्य सड़क प्रयोगकर्ताओं के स्थिति के अनुसार चालन करना।

2.9

सड़क पर वाहन चलाना:-

- 2.9.1 पूर्वानुमान
- 2.9.2 सड़क की दशा एवं अन्य सड़क प्रयोगकर्ताओं के अनुसार निर्णय लेना

2.10

वाहन चलाते समय सड़क के चौराहों/प्रतिच्छेदन (इण्टरसेक्शन) -

- 2.10.1 साईड शीशा (रियर व्यू मिरर) में दिखने वाले सिग्नल/संकेत एवं यातायात नियंत्रक द्वारा दिये जाने वाले सम्पूर्ण संकेत
- 2.10.2 अवरोध (जाम) के समय गति पर दृष्टि (ध्यान) रखना।

2.11

चालन की कुशलता-

- 2.11.1 यातायात नियन्त्रक के निर्देशानुसार कुशलता पूर्वक समायोजित(मर्जिंग) एवं दिशा बदलते (डायवर्जन) हुए दौरे एवं बाँये मुड़ना, 03 बिन्दुओं का मोड़ एवं 05 बिन्दुओं का मोड़ तथा U टर्न एवं रुकें हुए एवं चल रहे वाहनो से दौरे एवं बाँये से ओवरटेक करना ।

2.12

पीछे (बैक) करना-

- 2.12.1 ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए रिवर्स गियर की स्थिति पता करना ।
- 2.12.2 रिवर्स गियर में स्टीयरिंग का प्रयोग
- 2.12.3 सामान्य त्रुटियां
- 2.12.4 गति नियन्त्रण

2.13

पार्किंग-

- 2.13.1 समानान्तर
- 2.13.2 लम्बवत
- 2.13.3 ढलान पर झुकाव की ओर पार्क करना
- 2.13.4 कोणीय
- 2.13.5 चढ़ान पर पार्क करना
- 2.13.6 सामान्य त्रुटियां


(रवीन्द्र नाथ राय)
पुलिस उपाधीक्षक
लॉजिस्टिक्स

2.14

चौराहे एवं मोड़ पर -

- 2.14.1 रूकने के संकेत
- 2.14.2 दाहिने मोड़
- 2.14.3 चौराहो पर नियन्त्रण
- 2.14.4 मोड़
- 2.14.5 बायें मोड़
- 2.14.6 यू-टर्न
- 2.14.7 सूचित करने वाले चिन्हो के द्वारा चौराहो पर नियन्त्रण
- 2.14.8 यातायात सर्किल
- 2.14.9 संकेतिक
- 2.14.10 दौहिने मोड़
- 2.14.11 लेन पर मुड़ना

2.15

लेन चालन:-

- 2.15.1 लेन की स्थिति
- 2.15.2 पासिंग लेन
- 2.15.3 लेन से बाहर
- 2.15.4 मोड़ो एवं पहाड़ो पर
- 2.15.5 अदृश्य स्थान
- 2.15.6 अन्य वाहनों से तालमेल
- 2.15.7 लहरदार क्षेत्र

2.16

चालक का सड़क पर उत्तरदायित्व:-

- 2.16.1 सुरक्षित चालन
- 2.16.2 थकान
- 2.16.3 यातायात के नियम
- 2.16.4 उचित दूरी का पालन करना
- 2.16.5 वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग
- 2.16.6 ईंधन औसत को बढ़ाने के तरीके

2.17

वाहन चलाते समय सड़क साझा करना:-

- 2.17.1 पैदल यात्री की सुरक्षा
- 2.17.2 मोटर साइकिल चालक
- 2.17.3 बड़े वाहन
- 2.17.4 आपातकालीन वाहन
- 2.17.5 लम्बे भार वाहन
- 2.17.6 लाइट रेल ट्रांजिट
- 2.17.7 बर्फ उठाने/हटाने वाले उपकरण
- 2.17.8 साइकिल चालक
- 2.17.9 हाईवे पर खड़े वाहन
- 2.17.10 स्कूल बस
- 2.17.11 रख-रखाव वाहन
- 2.17.12 रेलवे क्रासिंग
- 2.17.13 जुलूस/उत्सव एवं परेड

Rm

(रवीन्द्र नाथ राय)
पुलिस उपाधीक्षक
लॉजिस्टिक्स

पाठ्यक्रम

02
(रमेश प्रसाद गुप्ता)
पुलिस अधीक्षक, लॉजिस्टिक्स
उ० प्र० लखनऊ

Speed
(एस. के. शुक्ला)
पुलिस अधीक्षक, लॉजिस्टिक्स

- 2.18 सड़क पर बने यातायात चिन्ह एवं संकेत:-
2.19 वाहनों का परिचय:-
2.19.1 वाहनों के प्रकार
2.19.2 वाहनों के विशेषतायें
2.19.3 भारत में वाहन निर्माता कम्पनियाँ
2.19.4 इंजनों के प्रकार
2.19.5 डीजल इंजन
2.19.6 टू स्ट्रोक
2.19.7 इंजन के विभिन्न पुर्जे
2.19.8 एम0पी0एफ0आई0 इंजन
2.19.9 कार्य करने का सिद्धान्त
2.19.10 पेट्रोल इंजन
2.19.11 फोर स्ट्रोक इंजन
2.19.12 वाल्व की कार्यप्रणाली

Rm
(रवीन्द्र नाथ राय)
पुलिस सहायक
लॉजिस्टिक्स

Det
(रमेश प्रसाद गुप्ता)
पुलिस अधीक्षक, लॉजिस्टिक्स
उ० प्र० लखनऊ

Speel
(एस० ई० क० सुक्का)
पुलिस अधीक्षक, लॉजिस्टिक्स

भाग-3 वाहन चालन के मोड्यूल एवं प्रक्रिया पाठ्यक्रम

- 3.1 वाहन चालन के विभिन्न तरीके
- 3.2 वाहन सम्बन्धी गति विज्ञान एवं वाहन नियन्त्रण
- 3.3 स्टापिंग डिस्टेन्स को प्रभावित करने वाले कारक
- 3.4 वाहनों से टकराव के समय चालन दक्षता जो कानून व्यवस्थाओं की परिस्थितियों में सहयोगी हों:-
 - 3.4.1 ऐसे सम्मत तरीके जो वाहन टकराव बचाने में सहायक हों।
 - 3.4.2 आपातकालीन प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में विचार
 - 3.4.3 रात्रि ड्राइविंग
 - 3.4.4 लक्ष्य प्राप्ति/पीछा करने हेतु चालन पर विचार
 - 3.4.5 कानून प्रवर्तन वाहन पर लगने वाले आपातकालीन चेतावनी प्रदान करने वाले यन्त्र के प्रकार तथा उनकी क्षमतायें
- 3.5 आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस रेडियो का प्रभावी उपयोग के विभिन्न कारक -
 - 3.5.1 आपातकालीन ड्राइविंग में मार्ग चयन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक
 - 3.5.2 पुलिस ड्राइविंग के वैधानिक प्रावधान
 - 3.5.3 चालक के द्वारा (विधि प्रवर्तन के समय) वैधानिक प्रावधान
 - 3.5.4 रिकवरी प्रयोग एवं उनका रस्सियों एवं गांठों के साथ उपयोग
 - 3.5.5 दुर्घटना ग्रस्त वाहनों तथा सम्बन्धित व्यक्तियों का स्थानान्तरित करने के उपाय (टोइंग)
 - 3.5.6 रिकवरी कार्य एवं संकेत प्रणाली
 - 3.5.7 रिकवरी योजना एवं प्रक्रिया

3.1

(पुलिस रेडियो का प्रभावी उपयोग के विभिन्न कारक)


(रमेश प्रसाद गुप्ता)
पुलिस अधीक्षक, लांजिस्टिक
उ० प्र० लखनऊ


(एस. पी. सिंह)
अवर पुलिस अधीक्षक, लांजिस्टिक

भाग-4 मोटरयान अधिनियम, नियम, विनियम एवं पक्रिया पाठ्यक्रम

- 4.1 मोटरयान अधिनियम—
 - 4.1.1 सेक्शन 122,123,125,126 तथा 128 मोटरयान अधिनियम 1988
- 4.2 चालन दक्षता परीक्षा—
 - 4.2.1 केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम (15) के उपनियम (3)
- 4.3 चालन विनियम—
 - 4.3.1 मोटरयान अधिनियम 1988 के धारा 118 के अन्तर्गत सड़क उपयोग विनियम
- 4.4 यातायात नियन्त्रण—
 - 4.4.1 चिन्हों के आकार व रंग
 - 4.4.2 गति सीमा
 - 4.4.3 आज्ञापक संकेत
 - 4.4.4 पार संकेत
 - 4.4.5 सूचनात्मक एवं मार्गदर्शक संकेत
 - 4.4.6 विद्यालय क्षेत्र संकेत
 - 4.4.7 यातायात नियन्त्रक संकेत
 - 4.4.8 लेन नियन्त्रक संकेत
 - 4.4.9 नियामक संकेत
 - 4.4.10 अभिहित लेन संकेत
 - 4.4.11 प्रतिबंधित संकेत
 - 4.4.12 चेतावनी संकेत
 - 4.4.13 रोड निर्माण
 - 4.4.14 खेल मैदान क्षेत्र
 - 4.4.15 पैदल यात्री संकेत लाइट
 - 4.4.16 फुटपाट अंकन
 - 4.4.17 दुर्घटना के कारण और उसका समाधान
 - 4.4.18 अपराध, जुर्माना और प्रक्रिया
 - 4.4.19 कार्यालय अभिलेख, कार डायरी, रनिंग रजिस्टर एवं लॉगबुक इत्यादि
 - 4.4.20 नये वाहन के अभिलेख एवं पंजीकरण सम्बन्धी निर्देश
 - 4.4.21 चोरी होने के कारण
 - 4.4.22 अग्नि रोधी उपाय
 - 4.4.23 चिकित्सीय सहायता
 - 4.4.24 पहाड़ी एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में चालन (सिमुलेटर के द्वारा अभ्यास)
 - 4.4.25 कोहरा से बचाव
 - 4.4.26 रिकवरी के तरीके एवं प्रदर्शन
 - 4.4.27 चालक का जनता के साथ व्यवहार एवं आचरण
- 4.5 लाइसेंस के प्रकार—
 - 4.5.1 लाइसेंस का वर्गीकरण
 - 4.5.2 लाइसेंस के लिये आवेदन
 - 4.5.3 डुप्लीकेट, नवीनीकरण एवं लाइसेंस को परिवर्तन
 - 4.5.4 पंजीयन एवं बीमा
 - 4.5.5 चिकित्सीय आवश्यकता
 - 4.5.6 शिक्षार्थी (लर्निंग) लाइसेंस
 - 4.5.7 उननायन (अपग्रेडिंग) लाइसेंस

R₁₂
(रवीन्द्र नाथ राय)
पुलिस उपाधीक्षक
लॉजिस्टिक्स

R₁₂
(रमेश प्रसाद गुप्ता)
पुलिस अधीक्षक, लॉजिस्टिक्स
उ० प्र० लखनऊ

Spur
(रमेश के. शुक्ला)
लॉजिस्टिक्स

भाग-5 मरम्मत एवं फिल्ड रिपेयर से सम्बन्धित पाठ्यक्रम

- 5.1 ईंधन आपूर्ति प्रणाली में दोष(खराबी) को खोजना, टाटा-1512,407,709
- 5.2 ईंधन आपूर्ति प्रणाली में दोष(खराबी) को खोजना --जिप्सी/अम्बेसडर/बोलेरो /सूमो व अन्य वाहन
- 5.3 कूलिंग प्रणाली में दोष (खराबी) को खोजना
- 5.4 इग्नीशन प्रणाली में दोष(खराबी) को खोजना -- जिप्सी-413/अम्बेसडर/ बोलेरो /सूमो आदि अन्य वाहन
- 5.5 ब्रेक प्रणाली में दोष (खराबी) को खोजना
- 5.6 आपातकालीन परिस्थिति में तात्कालिक उपाय ।
- 5.7 कूलिंग प्रणाली का प्रच्छालन करना (साफ करना)
- 5.8 लुब्रीकेन्ट की पहचान करना
- 5.9 टायर सुधार सम्बन्धी (वल्कनाइजेशन) मशीन का उपयोग
- 5.10 एम0पी0एफ0आई0 में दोषों का निराकरण करना
- 5.11 टास्क सिस्टम के माध्यम से वाहनो का मरम्मत करना एवं प्रयोग के माध्यम से निरीक्षण का प्रदर्शन
- 5.12 वाहन का मरम्मत, टायर, टियूब एवं बैट्री रख-रखाव
- 5.13 टायर रोटेशन तथा लॉगबुक का रख रखाव
- 5.14 आयल का बदलना
- 5.15 वाहन निष्प्रयोजन/निस्तारण की प्रक्रिया
- 5.16 निरीक्षण का प्रदर्शन

R.N.
(रवीन्द्र नाथ राय)
पुलिस उपाधीक्षक
लॉजिस्टिक्स

मुख्य आरक्षी चालक/आरक्षी चालक से मुख्य आरक्षी परिवहन की मौखिक/प्रायोगिक प्रोन्नति परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम-

परीक्षा का नाम (द्वितीय, जैसा कि आरआर-2015 में उल्लिखित किया गया है)

कुल अंक-50,

भाग -6 प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षण का पाठ्यक्रम

-50 अंक

- 6.1 वाहन में प्रयुक्त जी0पी0एस0, जी0पी0आर0एस0, कैमरा, रेडियो वायरलेस आधुनिक उपकरण इत्यादि विभिन्न पुर्जों, समूह का प्रदर्शन एवं नियंत्रण उनके नामों एवं प्रयोग का उल्लेख करते हुए
- 6.2 चालन के पूर्व निरीक्षण
- 6.2.1 चालन सीट पर बैठने के पूर्व
- 6.2.2 चालन सीट पर बैठने के पश्चात
- 6.3 स्टीयरिंग अभ्यास-खींचना (पुल), एवं धकेलना (पुश) प्रक्रिया
- 6.4 ईंधन औसत का परीक्षण एवं सूचिबद्ध रख-रखाव ।
- 6.5 वाहन को चलाना एवं गेयर बदलना
- 6.6 वाहन का रोकना-सामान्य एवं आपातकालीन दशा में
- 6.7 पूर्वानुमान के साथ सड़क पर वाहन चलाते समय निम्न निर्णय क्षमता का विकास करना
- 6.8 वाहन को पीछे (बैक) करना- सीधे में एवं S मुड़ाव (बैंड) में ।
- 6.9 वाहन को मोड़ना तथा विभिन्न प्रकार से पार्क करना ।
- 6.10 लाइसेंसिंग स्वास्थ्यता (फिटनेस) पंजीयन, अनुमति (परमिट), बीमा इत्यादि
- 6.11 स्टीयरिंग व्हील के पीछे की स्थिति एवं वाहन का परिचालन
- 6.12 नियन्त्रण
- 6.13 स्थिर वाहन के पिछले पहियों को जैक के द्वारा उठाकर नियंत्रण करने का अभ्यास करना
- 6.14 इंजन को ठंडे स्थिति में स्टार्ट करने का तरीका, इन्स्ट्रूमेंट पैनल का निरीक्षण एवं गेयर बदलने का तरीका
- 6.15 इकाई/खुले मैदान में वाहन को चलाना, रोकना एवं अगे बढ़ना ।
- 6.16 वाहन का चालन दौहिन कोने, बाँये कोने, मोड़ना, बैक करना एवं गैरेज में लगाने का अभ्यास करना तथा चलाने से पूर्व एवं चलाने के बाद का जाँच करना ।
- 6.17 आपातकालीन परिस्थिति में वाहन को रोकना तथा अचानक ब्रेक का प्रयोग करते हुए दुर्घटना से बचाव ।
- 6.18 आपातकालीन परिस्थितियों में जिम्मेदारी की सूची एवं उस पर विचारण
- 6.19 आपातकालीन परिस्थितियों में अधिकारी के अनुभूति एवं निर्णय के अनुसार शारारिक एवं मानसिक कारको को पहचानते हुए वाहन को पूर्व निर्धारित स्थानों पर रोकना ।
- 6.20 लम्बी दूरी वाहन चालन
- 6.21 वाहन को टोचेन करना
- 6.22 सुरक्षात्मक चालन
- 6.23 टायर रोटेशन
- 6.24 सड़क पर लगे चिन्ह, संकेत एवं अन्य आदेशात्मक चिन्ह
- 6.25 परिवहन शाखा से सम्बन्धित अभिलेख (लॉग बुक, पी0ओ0एल0 कार डायरी, स्टॉक लेजर इत्यादि,

Rm

(रवीन्द्र नाथ राय)

पुलिस उपाधिक्षक
लॉजिस्टिक्स

पाठ्यक्रम

ee
(रमेश प्रसाद गुप्ता)

पुलिस अधीक्षक, लॉजिस्टिक

उ० प्र० लखनऊ

पृष्ठ-9

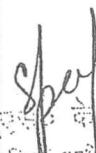
Sp
(रमेश प्रसाद गुप्ता)
पुलिस अधीक्षक, लॉजिस्टिक्स

Syllabus for HCMT departmental Exam

Mentioned syllabus is divided in 06 Parts, The Last Part (6th Part) is Practical, Technical efficiency Test

S.No	Subject		Description
1-	Part-1	Syllabus for General Knowledge & IQ Test	1.1 This part of syllabus is based on General Knowledge and current affairs. 1.2 Multi Choice questions {MCQ}
2-	Part-2	Syllabus for Technical Knowledge & related topics	2.1 This part of syllabus is based on technical knowledge of candidate, knowledge of vehicle parts & procedure. 2.2 Multi Choice questions {MCQ}
3-	Part-3	Syllabus for driving module and procedures	3.1 This part of syllabus based on Driving module & related general knowledge of legal procedure 3.2 Multi Choice questions
4-	Part-4	Syllabus for Motor Vehicle Act, Rules, Regulations & Procedure	4.1 This part of syllabus based on motor vehicle acts, Rules, Regulations & Procedure, Traffic control etc. 4.2 Multi Choice questions
5-	Part-5	Syllabus for Maintenance & Field Repairs	5.1 This part of syllabus based on Maintenance & Field Repairs, knowledge of disposal/condemnation procedure of Vehicle, Tyres/Batteries etc. 5.2 Multi Choice questions
6-	Part-6	Syllabus for Practical, Technical efficiency test	6.1 This part of syllabus based on practical technical-knowledge of candidate.


 (रवीन्द्र नाथ राय)
 पुलिस उपाधीक्षक
 लॉजिस्टिक्स


 (एस. पी. सिंह)
 अपर पुलिस अधीक्षक

Syllabus for Constable Driver/HC Driver for Promotion to HCMT Written Exam (Multiple Choice questions)- First Part of Examination-as mentioned in RR-2015

Total Marks-70

Time- 3 Hour's

Part- 1 Syllabus for General Knowledge & IQ Test - 25 Marks

{Note-Multiple choice question, No. of Questions-25 Each Question 01 marks}

Part-2 Syllabus for Technical Knowledge & related topics {from 2.0 to 5.0} -45 Marks

{Note-Multiple choice question] No. of Questions-90 Each Question 1/2 marks}

About vehicle-

- 2.1. Simple introduction of automobile engines and other assemblies and their working.
- 2.2. Conducting the Pre-Driving Vehicle Inspection
- 2.3. Components of the Driving System
- 2.4. Vehicle control and their purpose –

2.4.1. Foot control of Vehicle-

2.4.1.1 Foot brake

2.4.1.2 Clutch

2.4.1.3 Accelerator

2.5. Hand control of Vehicle-

2.5.1 Steering wheel

2.5.2 Horn

2.5.3 Wipers

2.5.4 Starter motor

2.5.5 Indicators

2.5.6 Hand brake

2.5.7 Light

2.5.8 Ignition switch

2.5.9 Dipper

2.6. Other control of Vehicle –

2.6.1 Rear view (right and left side)

2.6.2 Gauges/Meters of Vehicle

2.6.3 Wind screen

2.6.4 Instrument cluster on Dashboard

2.6.5 Dials on Dashboard

2.7.Pre-driving checks –

2.7.1 Before seating of driver's seat

2.7.2 After seating of driver seat

Q2

(रवीन्द्र नाथ राय)

पुलिस उपाधीक्षक

लॉजिस्टिक्स

2.8.Beginning to drive –

- 2.8.1 Precaution just before moving
- 2.8.2 Biting point of Clutch
- 2.8.3 Steering control
- 2.8.4 Stopping
- 2.8.5 Accelerator (gradual /sudden)
- 2.8.6 Reversing
- 2.8.7 Precaution While moving
- 2.8.8 Moving
- 2.8.9 Changing of gear
- 2.8.10 Braking
- 2.8.11 Traffic sense, road sense, judgment, parking and positioning according to road users.

2.9. Driving on the road –

- 2.9.1 Anticipation on Driving
- 2.9.2 Judgment and road positioning according to the other road users

2.10.Driving at intersection –

- 2.10.1 Mirror signals and manoeuvre (MSM)
- 2.10.2 Position speed and lock (PSL) zone of vision

2.11.Manoeuvre –

- 2.11.1 Merging and diverging manoeuvre, turning manoeuvre to left, right about,3-point turn, 5 point turn and U turn and overtaking stationary vehicle, moving vehicle and left side and right side.

2.12. Reversing –

- 2.12.1 Locating reverse gear in sitting position
- 2.12.2 Steering in reverse gear
- 2.12.3 Common errors
- 2.12.4 Speed control

2.13.Parking –

- 2.13.1 Parallel
- 2.13.2 Perpendicular
- 2.13.3 Parking facing downhill (Inclination Parking)
- 2.13.4 Angular
- 2.13.5 Parking facing uphill (Elevated Parking)
- 2.13.6 Common errors

Qm
(रवीन्द्र नाथ राय)
पुलिस उपाधीक्षक
लॉजिस्टिक्स

2.14. Intersections and turns –

- 2.14.1 Stop signs
- 2.14.2 Right to way
- 2.14.3 Controlled intersections
- 2.14.4 Turning
- 2.14.5 Left turns
- 2.14.6 U-turns
- 2.14.7 Intersection control by yield signs
- 2.14.8 Traffic circle
- 2.14.9 Signaling
- 2.14.10 Right turns
- 2.14.11 Turning lanes

2.15. Lane Driving –

- 2.15.1 Lane position
- 2.15.2 Passing lane
- 2.15.3 Exiting
- 2.15.4 Curves and hills
- 2.15.5 Blind spots
- 2.15.6 Merging
- 2.15.7 Wave zone

2.16. Driver's responsibility on road-

- 2.16.1 Defensive driving
- 2.16.2 Fatigue
- 2.16.3 Traffic laws
- 2.16.4 Following distance
- 2.16.5 Cellular telephone use in vehicles
- 2.16.6 Way to improve fuel efficiency

2.17. Sharing the Road while driving-

- 2.17.1 Pedestrian safety
- 2.17.2 Motor cycle drivers
- 2.17.3 Large vehicles
- 2.17.4 Emergency vehicles
- 2.17.5 Long-haul vehicles
- 2.17.6 Light rail transit
- 2.17.7 Snowplows
- 2.17.8 Bicycle operators/cyclist
- 2.17.9 Off-highway vehicles
- 2.17.10 School buses
- 2.17.11 Maintenance vehicles
- 2.17.12 Railway crossing
- 2.17.13 Funnel processions and parades

3m

(रवीन्द्र नाथ राय)
पुलिस उपाधीक्षक
लॉजिस्टिक्स

2.18. Road signs & signals.

2.19. Introduction of vehicles –

- 2.19.1 Types of vehicles
- 2.19.2 Specification of vehicles
- 2.19.3 Manufactures of vehicle in India
- 2.19.4 Types of engines
- 2.19.5 Diesel engines
- 2.19.6 Two stroke engines
- 2.19.7 Different parts of engines
- 2.19.8 MPFI engines
- 2.19.9 Principle of Working
- 2.19.10 Petrol engines
- 2.19.11 Four stroke engines
- 2.19.12 Valve mechanism

an
(रवीन्द्र नाथ राय)
पुलिस उपाधीक्षक
लॉजिस्टिक्स

Part-3 Syllabus for driving module and procedure

3.1 Driving Styles

3.2 Vehicle Dynamics and Control

3.3 Factors that Influence the Stopping Distance

3.4. Driving Manoeuvre that Frequently Contribute to Law Enforcement Vehicular Collisions

3.4.1 Acceptable Collision Avoidance Methods

3.4.2 Emergency Response Considerations

3.4.3 Driving at Night

3.4.4 Pursuit Driving Considerations

3.4.5 Types and Limitations of Emergency Warning Devices on Law Enforcement Vehicles

3.5 Factors That Contribute to the Effective Use of a Police Radio During an Emergency Response

3.5.1 Factors in Route Selection for Emergency Response Driving

3.5.2 Police Driving Legal Considerations

3.5.3 Specific statutory provisions (at the time of law enforcement) by drivers.

3.5.4 Recovery experiment and their use along with knots and lashing

3.5.5 Towing vehicles and casualties

3.5.6 Recovery task and signals

3.5.7 Recovery plane and procedure


(रवीन्द्र नाथ राय)
पुलिस उपाधीक्षक
लॉजिस्टिक्स

Part-4 Syllabus for Motor Vehicle Act, Rules, Regulations & Procedures

4.1. Motor Vehicle Act-

4.1.1 Sections 122,123,125,126 and 128 of the motor vehicle act 1988.

4.2. Test of competence to drive-

4.2.1 Sub-rule (3) of rule (15) of Central Motor Vehicle Rules 1989.

4.3. Driving regulation-

4.3.1 Road use regulations made under Section 118 Motor Vehicle Act 1988.

4.4. Traffic controls –

- 4.4.1 Sign shapes and colors
- 4.4.2 Speed limits
- 4.4.3 Permissive signs
- 4.4.4 Crossing signs
- 4.4.5 Information and guide signs
- 4.4.6 School zone signs
- 4.4.7 Traffic control signal
- 4.4.8 Lane control signals
- 4.4.9 Regulatory signs
- 4.4.10 Designated lane signs
- 4.4.11 Prohibitive signs
- 4.4.12 Warning signs
- 4.4.13 Road construction
- 4.4.14 Playground zones
- 4.4.15 Pedestrian signal lights
- 4.4.16 Pavement markings
- 4.4.17 Accident causes and Remedies'
- 4.4.18 Offences, Penalties and Procedure
- 4.4.19 Office records- car dairy, running register, logbooks etc.
- 4.4.20 Instruction for New vehicle documents and registration
- 4.4.21 Causes for pilferage
- 4.4.22 Fire precaution
- 4.4.23 Medical Aid
- 4.4.24 Hill driving & Desert Driving (Trough simulation exercises)
- 4.4.25 Fog Precaution
- 4.4.26 Recovery procedure with demo
- 4.4.27 Public relations for drivers and driver conduct

4.5. License classifications-

- 4.5.1 License classification
- 4.5.2 Apply for license
- 4.5.3 Duplicate renewal and changes of licenses
- 4.5.4 Registration and insurance
- 4.5.5 Medical requirement
- 4.5.6 Learning license
- 4.5.7 Upgrading licenses

Part-5 Syllabus for Maintenance & Field Repairs

- 5.1 Fault finding in Fuel supply System TATA-1512/TATA-407/TATA-709.
- 5.2 Fault finding in Fuel supply System Gypsy /Amb. car/ Bolero / Sumo & Other models.
- 5.3 Fault finding in Cooling System
- 5.4 Fault finding in Ignition System MG-413 /Amb Car/Bolero/Sumo & Other models
- 5.5 Fault finding in Brake System Brake Bleeding
- 5.6 Improvisation in Emergency
- 5.7 Cooling System Flushing
- 5.8 Identification of Lubricants
- 5.9 Use of vulcanization Machine
- 5.10 Trouble shooting in M.P.F.I.
- 5.11 Maintenance with Task System and Inspection demo (Practical)
- 5.12 Maintenance of vehicle, tyre, tube and batteries
- 5.13 Tyre rotation & Maintenance of log Book
- 5.14 Oil Changing
- 5.15 Condemnation /Disposal procedure
- 5.16 Demo on Inspection

Rm
(रवीन्द्र नाथ राय)
पुलिस उपाधीक्षक
लॉजिस्टिक्स

Syllabus for Constable Driver/HC Driver for Promotion to HCMT

Technical, Practical Exam (व्यवहारिक तकनीकी ज्ञान परीक्षा)

Second part of Examination-as mentioned in RR-2015

Total Marks -50, 10 Questions per Candidate, 05-Marks per Question and maximum Time per candidate - 10 minutes

Part-6 Syllabus for Practical, Technical efficiency test - 50 Marks

- 6.1. Mentioning Names & use of various displayed parts, aggregates, of vehicles along with advance gadgets like-GPS, GPRS, Camera, Radio Wireless Equipment etc.& controls
- 6.2. Pre driving checks-
 - 6.2.1 Before sitting on driver's seat
 - 6.2.2 After sitting on driver's seat
- 6.3. Steering practice - Push and pull method
- 6.4. Testing of mileage and scheduled maintenance
- 6.5. Moving and gear changing
- 6.6. Stopping -normal stopping and emergency stopping
- 6.7. Developing judgment and anticipation to drive on road
- 6.8. Reversing -in straight and in 'S' bends
- 6.9. Turning and different types of parking
- 6.10. Licensing, fitness, registration, permit, insurance etc.
- 6.11. Position behind the steering Wheel & Operation of vehicle
- 6.12. Controls
- 6.13. Vehicle control practice to carry out on static vehicle with rear wheels jacked up.
- 6.14. Procedure of starting engine from cold, inspection of instrument panel, gear changing
- 6.15. Driving, halting and marching on unit track /open ground
- 6.16. Driving cornering right and left, turning about reversing and garaging practice, checks before move & End,
- 6.17. Halting in an emergency, use of sudden brakes to escape from the accident
- 6.18. List and discuss the factors for emergency response : consideration
- 6.19. Halt at pre -determined points identify the psychological and physiological (मानसिक व शारीरिक) factors that may affect an officer's perceptions and judgment during an emergency response
- 6.20. Long Driving
- 6.21. Towing of vehicles
- 6.22. Defensive Driving.
- 6.23. Tyre Rotation
- 6.24. Road Signs, Signals & Other mandatory signs
- 6.25. About MT document (Log Books, POL, Car Diary, Stock Ledgers etc.)

Qm
(रवीन्द्र नाथ राय)
पुलिस उपधीक्षक
लॉजिस्टिक्स

Spec
(एस.के. शुक्ला)
पुलिस उपधीक्षक
लॉजिस्टिक्स